सुखपति विरूद्ध शासन आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

R 2119-II/14

प्रकरण कमांक – निग0 2119–दो / 14 जिला – सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.7.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता एवं समयसीमा के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 29–5–06 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26–5–14 को पेश की गई है । विलंब के संबंध में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में यह आधार लिया गया है अनावेदक ने जब विवाद शुरू किया तब जानकारी हुई, कब और किस दिनांक को विवाद शुरू किया इसका कोई उल्लेख आवेदन में नहीं है । विलंब के प्रकरणों में दिन प्रति दिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है जो इस प्रकरण में नहीं है । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर	

271
26.5.14

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2014

---

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES — Rs. 20/—

श्री ~~[illegible]~~ सुखपति तिवारी पिता गुलाबराम, निवासी ग्राम सेमरी, तहसील सिहावल जिला सीधी म०प्र० ------ ------- निगरानीकर्ता

बनाम

1- शासन म०प्र०

2- गुलाबराम तिवारी पिता सखाराम तिवारी निवासी ग्राम सेमरी, तह० सिहावल जिला सीधी म०प्र० ------- गैरनिगरानीकर्ता

श्री नवीन कुमार सिंह ..एड
द्वारा आज दिनांक 26-5-2014 को
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध प्रकरण क्र० 49-74/04-05 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार सा० तह० सिहावल जिला सीधी म०प्र० निर्णय दिनांक 29-5-06

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहितासन 1959ई०

मान्यवर, निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यह कि आराजी नं० 914/ 0-101, 915/0-061रै० 1131/0-352 883/0-06 जिसका नया नम्बर 761, 976 ,758,880 स्थित ग्राम सेमरी, तहसील सिहावल जिला सीधी म०प्र०का आवेदनपत्र खसरा मुताबिक नक्शा सुधार बावत अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया।

2- यह कि उक्त आवेदनपत्र मे हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना

सुखपति तिवारी